।। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) किलाघाट, दरभंगा।।

पत्रांक 285 /

प्रेषकः

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
(डायट), किलाघाट, दरभंगा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

दरभंगा, दिनांक 19 / 10 / 2022

विषयः– वर्ष 2022–23 में सुरक्षा सेवा बहाल करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेशानुसार निर्धारित मानकों के आधार पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (डायट), किलाघाट, दरभंगा में छः (06) अदद सुरक्षा प्रहरी/रात्रि प्रहरी बहाल करने हेतु विज्ञापन प्रकाशन की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि विज्ञापन से संबंधित संलग्न निविदा सूचना एवं सी0डी0 के अनुसार पटना से प्रकाशित होने वाले सभी दैनिक समाचार पत्र में यथाशीघ्र विज्ञापन प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त
(सी0डी0 सहित)

विश्वासभाजन

S. Chop
19.10/22

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(डायट) किलाघाट, दरभंगा

19/10/22

।। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), किलाघाट, दरभंगा ।।

सुरक्षा गार्ड हेतु निविदा सूचना

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) किलाघाट, दरभंगा में 24 घंटे सुरक्षा सेवा बहाल करने हेतु बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अनुज्ञप्ति प्राप्त एजेंसी द्वारा सुरक्षा गार्ड की निविदा अलग–अलग लिफाफे में मुहर बंद कर प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) किलाघाट, दरभंगा के कार्यालय कक्षा में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दस दिनों के अन्दर आमंत्रित किया जाता है निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि या तीन दिनों के अन्दर खोली जायेगी जिसकी सूचना कार्यालय सूचना पट्ट या प्रतिष्ठान के मोबाईल नम्बर पर दी जाएगी जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। स्थानीय एजेसी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(क) **कार्य की विवरणीः–**

1. तीन शिफ्ट में संस्थान परिसर की सुरक्षा व्यवस्था – **02x03=06** सुरक्षा प्रहरी
2. संविदा की अवधि दो वर्ष की होगी (कार्य संतोषप्रद रहने पर संविदा की अवधि बढ़ाई जा सकती है या असंतोष रहने पर घटाई जा सकती है।

(ख) **निविदा की शर्त्तः–**

1. निजी सुरक्षा अभिकरण अधिनियम की घारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार राज्य सरकार (गृह विभाग) से प्राप्त अनुज्ञप्ति की फोटोप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. किसी सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य है।
3. केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा निर्गत सेवा कर निबंधन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
4. बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित नियमावली 11 के प्रारूप के अनुरूप शर्तों का पालन करना होगा। इससे संबंधित प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष शपथ लेकर शपथ पत्र की (मूल) प्रति देना आवश्यक है।
5. काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ लेकर शपथ पत्र की मूल प्रति देना होगा।
6. धरोहर राशि 5000.00 किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो की प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) किलाघाट, दरभंगा के पदनाम से प्लेज हो संलग्न करना अनिवार्य है।
7. कम्पनी एजेंसी का जीएसटी एवं पैन न0 अनिवार्य है।
8. दो वर्ष का आयकर भुगतान से संबंधित कागजात।
9. प्रति गार्ड *7725/–* रूपये प्रति माह का भुगतान किया जायेगा।

(ग) **अन्य शर्तेः–**

1. किसी भी तरह के विवाद का निवटारा दरभंगा स्थित न्यायालय में होगा।
2. प्राचार्य को किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार होगा।
3. स्वीकृत निविदादाता को कार्य शुरू करने के पूर्व रू0 1000.00 का हस्तलिखित स्टाम्प पर निविदा में दिए गये शर्तों का अनुपालन करना होगा।

S. Chp
19.10.22

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(डायट) किलाघाट, दरभंगा

19/10/22